

(भारत के राजपत्र, असाधारण के भाग ॥, खंड-3, उपखंड (i) में प्रकाशनार्थ)

भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

सं. 5/2017- सेवाकर

नई दिल्ली, दिनांक 30 जनवरी, 2017

सा.का.नि. (अ) - वित्त अधिनियम, 1994 (1994 का 32) की धारा 93 की उपधारा (1) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केंद्र सरकार, इस बात से संतुष्ट होते हुए कि ऐसा करना जनहित में आवश्यक है, एतद्वारा भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं. 25/2012-सेवा कर दिनांक 20 जून, 2012, जिसे सा.का.नि. 467 (अ), दिनांक 20 जून, 2012 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग ॥ के खंड 3 उपखंड (i) में प्रकाशित किया गया था, में निम्नलिखित और आगे भी संशोधन करती है; यथा-

उक्त अधिसूचना में, प्रारंभिक पैराग्राफ में, प्रविष्ट 34 में, परंतुक में, में शब्द, कोष्ठक और अंक "उपवाक्य (क)" के स्थान पर शब्द, कोष्ठक और अंक "उपवाक्य (क) या उपवाक्य (ख)" को प्रतिस्थापित किया जाएगा।

[फा.सं. 354/149/2016-टीआरयू]

(मोहित तिवारी)

अवर सचिव, भारत सरकार

नोट:- प्रधान अधिसूचना को अधिसूचना सं. 25/2012-सेवाकर, दिनांक 20 जून, 2012 को सा.का.नि. 467 (अ), 20 जून, 2012 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण में प्रकाशित किया गया था और इसमें अंतिम बार अधिसूचना सं. 1/2017- सेवाकर, दिनांक 12 जनवरी, 2017, सा.का.नि. 24 (अ), दिनांक 12 जनवरी, 2017 के द्वारा संशोधन किया गया है।